



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042025-262611
CG-DL-E-22042025-262611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1793]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2025/वैशाख 2, 1947

No. 1793]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2025/VAISHAKA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2025

का.आ. 1826(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" (पैन: AABAN3769K) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 37 /2025/फा. सं. 300195/61/2024-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2025

S.O. 1826(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies the “National Mission for Clean Ganga” (PAN:AABAN3769K) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 37/2025/F. No. 300195/61/2024-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.